न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 63/2019
रज्जु दिनांक : 24/06/2019
निर्णय दिनांक : 21/10/2019

प्रभू देवी पुत्री भागीरथ पत्नि सुरेश उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी गिदानी तहसील मौजमाबाद हाल निवासी ग्राम पींगून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–– प्रार्थीया

बनाम

1. भागीरथ पुत्र छीतर दत्तक पुत्र दयाल जाति जाट निवासी ग्राम गिदानी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. गोपाल पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम गिदानी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मौजमाबाद तहसील मौजामाबाद जिला जयपुर राज0
4. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
5. आर एम जी बी बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा दूदू जिला जयपुर राज0।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0)

उपस्थिति – **श्री भैरूलाल शर्मा**
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया

श्री कृष्ण कुमार लखेरा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सांख्या 1 व 2
प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 फोरमल पक्षकार है।

निर्णय दिनांक 21/10/2019

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य रक्त सम्बंध है एवं प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की जायंदा एकमात्र सगी पुत्री जायंदा संतान है। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक कृषि आराजी ग्राम गिदानी पटवार हल्का गिदानी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जो निम्न प्रकार से है:– क– यह कि वर्तमान खसरा नम्बर 155 रकबा 0.69

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 284 रकबा 2.20 हैक्टेयर, खसरा. नम्बर 416 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा न म्बर 424 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 1.56 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 9.42 हैक्टेयर भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज होने से प्रार्थीया का 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में 1/12 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। ख– कृषि आराजी ग्राम गिदानी पटवार हल्का गिदानी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 264 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 11.63 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 12.14 हैक्टेयर भूमि है जो सम्पूर्ण प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है जिसमें से प्रार्थीया 1/2 हिस्सा प्राप्त. करने की अधिकारिणी है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीया के पिता अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक आराजी कृषि भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक/विरासत से प्रार्थीया के दादा छीतर वल्द ओमकार जाट से प्राप्त हुई एवं प्रार्थीया के नाना दयाल से भी प्राप्त हुई है उपरोक्त वर्णित आराजी पैतृक कृषि भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थीया को जन्म से हित अधिकार प्राप्त है भारतीय हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्रार्थीया प्रथम श्रेणी की वारिश है एवं सहदायिकी सम्पति में विधिक अधिकार निहित है प्रार्थीया अपने अधिकारो को जीवित रख ने के लिए माननीय योग्य न्यायालय में वाद पेश किया गया है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की जायंदा संतान है एवं प्रार्थीया की सगी माता रामा देवी पूर्व में फौत हो चुकी है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दुसरा नाता विवाह किया गया है जिसके कोई .जायंदा संतान नही है प्रार्थीया को सामाजिक रिति रिवाज एवं सामाजिक दायित्वो से उपेक्षित किया जा रहा है प्रार्थीया एकमात्र प्रथम श्रेणी की विधिक वारिश होने से वर्णित आराजीयात में हित अधिकार स्वत्व निहित रखती है। प्रार्थीया का वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के क में वर्णित आराजी में प्रार्थीया के पिता अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिसा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज हो ने से प्रार्थीया का 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में 1/12 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया का वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के ख में वर्णित आराजी में प्रार्थीया के पिता अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 का सम्पूर्ण आराजी अधिकार अभिलेख में

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

रिवाज होने से प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा अर्थात विधिक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगातार कब्जा काश्त रहा एवं उपरोक्त वर्णित आराजी पैतृक आराजी होने से प्रार्थीया का भी उपरोक्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अनुसार हक हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है एवं इस कारण माननीय न्यायालय खातेदारी उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "आराजी ग्राम गिदानी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के वर्तमान खसरा नम्बर 155 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 284 रकबा 2.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा न म्बर 424 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 1.56 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 9.42 हैक्टेयर एवं वर्तमान खसरा नम्बर 264 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 11.63 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 12.14 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की पैतृक कब्ज काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी का बैचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त, शकल परिवर्तन नही करने बाबत एवं प्रार्थीया के कृषकीय कार्य में किसी प्रकार की मदाखलत उत्पन्न नही क रने हेतु एव मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे। अप्रार्थी संख्या 4 भूमिधारी है जो अधिकार अभिलेख को सुरक्षित रखने के अधिकार प्रदत्त किये गये है एवं अप्रार्थी संख्या 3 किसी भी प्रकार के हस्तांतरण प्रलेख निषपादित का पंजीयन करने के लिए अधिकार प्रदत्त किये गये है इस कारण से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीया को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विशेष परिस्थितियों में विशेष अनुतोष प्राप्त करने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 24/09/2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ल. 5 फोरमल पक्षकार हैं।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने लिखित बहस पेश की, जिनका बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 वाके ग्राम गिदानी, मिलान क्षैत्रफल, भू प्रबन्ध विभाग की फोटो प्रति व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व अन्य साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात पूर्व में प्रार्थीया के पूर्वज के नाम से दर्ज रही हैं। उक्त अराजी किस प्रकार से प्रार्थीया के पूर्वजों को प्राप्त हुयी है तथा इसमें प्रार्थीया का किसी प्रकार हक व हिस्सा बनता है, इस तथ्य का निर्धारण नियमित वाद मे किया जा सकता है प्रार्थी द्वारा उक्त अराजीयात को पैतृक बताया गया हैं तथा उक्त अराजीयात में अपने पिता के नाम दर्ज हिस्से में अपना 1/2 हिस्सा होना उल्लेखित किया है, इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा अपने 1/2 हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था, और वाद के लम्बित रहते आराजीयात को रहन, बेय, मुन्तकिल नही करने हेतु निवेदन किया है तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजीयात में प्रार्थीया का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार होने से इन्कार किया हैं इस प्रकार मुख्य विवाद यह है कि क्या अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है और इसकी घोषणा करवाने की अधिकारीणी हैं इन सभी प्रश्नों का निर्धारण मूल वाद में ही हो सकता हैं इसलिये न्यायालय यह समझती है एवं प्रथम दृष्ट्या ऐसा आवश्यक भी प्रतीत होता हैं कि यदि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, उसको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वह प्रश्गत आराजीयात का हस्तान्तरण कर सकता है जिससे प्रार्थीया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा – प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल हैं, जिसको प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत दस्तावेंजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों तथ्यों एवं वादीया के वाद का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आने पर हो सकेगा तथा अप्रार्थीगण द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त अपने जवाब प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में पेश किये है, वो इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं, इसलिये ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) झुंझु

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 155, 283, 284, 416, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 1284 कुल किता 13 कुल रकबा 9.42 हैक्टेयर एवं वर्तमान खसरा नम्बर 264, 265 कुल किता 02 कुल रकबा 12.14 हैक्टेयर वाके ग्राम गिदानी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी, बेजामजाहमत उत्पन्न नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner